यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़ के माह 12/2019 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर°एन° यादव/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पी°के° श्रीवास्तव/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हरिओम/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 17/12/2020 से 29/12/2020 तक श्री जे°एम°एस° रावत/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अक्षय कुमार/स°ले°प°अ° एवं श्री भारत सिंह/स°ले°प°अ° एवं श्री शरद चौधरी/स°ले°प°अ°(त°) द्वारा दिनांक 09.12.2019 से 17.12.2019 तक श्री रणवीर सिंह चौहान/वरि°ले°प°अ° के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में निष्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2017 से 11/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः खंड के अंतर्गत जौनपुर ब्लॉक, धौलथार ब्लॉक से संबंधित कार्य जैसे सड़क निर्माण, सेतु निर्माण एवं उनका रख-रखाव का कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(₹लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19	--	--	647.94	627.44	1795.84	1723.88	--	92.46
2019-20	--	--	547.52	547.36	1923.60	1623.29	--	300.47
2020-21 (up to 11/2020)	--	--	385.83	385.08	1857.80	1309.83	--	548.72

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं-

(₹लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2018-19	**शून्य**					
2019-20						
2020-21 (up to 11/2020)						

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार से एवं डिपॉजिट मद के अंतर्गत प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'अ'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी
अधीक्षण अभियन्ता, 8वां वृत, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी
अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खंड, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **नबम्बर 2020 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु** चयनित किया गया। इसी प्रकार सर्वाधिक व्यय वाले कार्य "**धनोल्टी में कैंपटी-चडोगी हल्का वाहन मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण (द्वितीय चरण)"** का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में माह 01/2020 में निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह **09/2017** तथा **03/2019** तक की गई।

5. फार्म 51: माह **01/2019** तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम : (-) ₹ 7817.00
भाग द्वितीय : 1541143.00

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह **11/2020** के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - ₹ 4061735.80
(ख) सामग्री क्रय – Nil
(ग) नगद परिशोधन - Nil
(घ) निक्षेप- ₹3395489.41
(ङ) भण्डार- ₹67250.00

भाग-II (अ)

प्रस्तर–1: खंड द्वारा वित्तीय नियमावली के विपरीत प्राविधिक स्वीकृति से अधिक व्यय होने के बाद भी आंशिक कार्य किया जाना।

(अ**)** जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जौनपुर के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत साटागाड बैन्ड से घेराचक-डागासारी मोटर मार्ग निर्माण (सेतु सहित) लम्बाई 8.0 किमी0 + 84 मी0 स्पान सेतु हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति माह नवम्बर 2006 में रू0 278.75 लाख की प्रदान की गयी थी एवं प्राविधिक स्वीकृति माह मार्च 2016 में रू0 275.75 लाख की प्रदान की गयी थी।

अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़ की लेखापरीक्षा माह दिसम्बर 2020 में पाया गया कि यद्यपि खण्ड के पक्ष मे 08 कि0मी0 मार्ग निर्माण सेतु सहित शासन द्वारा स्वीकृति वर्ष 2006 में ही प्रदान कर दी गयी थी किन्तु खण्ड द्वारा लगभग 10 वर्ष के अन्तराल के बाद कार्य हेतु प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की एवं कार्य प्रारम्भ किया गया। खण्ड द्वारा 10/2020 तक कार्य पर कुल रु0 212.00 लाख का व्यय किया जा चुका था जिसके सापेक्ष मात्र 5.20 किमी0 लम्बाई में ही कार्य किया जा सका था जबकि सेतु का कार्य प्रारम्भ ही नही किया जा सका था। लेखापरीक्षा में आगे यह भी पाया गया कि मार्ग निर्माण हेतु प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि एक माह मे सेतु सहित कार्य का पुनरीक्षित आगणन शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें किन्तु खण्ड द्वारा ऐसा नही किया जा सका, खण्ड द्वारा माह 08/2018 (प्राविधिक स्वीकृति मिलने के लगभग 2.5 वर्ष बाद) पुनरीक्षित आगणन सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया गया, पुनरीक्षित आगणन के अनुसार सेतु+मार्ग जो वर्ष 2006 में रू0 275.75 लाख में पूर्ण होना था अब मात्र सेतु पर ही रू 1346.29 लाख (रू0 1625.04 - 275.75=रू 1349.29) की लागत आंकलित की गयी थी जो सेतु की लागत में वृद्धि का द्योतक है।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्डीय आख्या में बतलाया गया कि कार्य प्रारम्भ करने में देरी का कारण ग्रामीणों के आपसी विवाद होना था एवं स्वीकार किया गया कि लागत में वृद्धि होना स्वाभाविक था साथ ही 2010 एवं 2013 में अगलाड नदी में बाढ़ आने के कारण स्पान 84 मी0 से 130 मी0 बढ़ जाना था।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नही था क्योंकि 2006 में स्वीकृत कार्य 2016 में अर्थात लगभग 10 वर्षो बाद प्रारम्भ किया जा सका, ग्रामीणों के विवाद को सुलझाने में इतना अधिक समय लगना खण्ड द्वारा हीला हवाली कार्यप्रणाली एवं कार्य निष्पादन के प्रति उदासीनता दर्शाता है साथ ही यदि समय पर (वर्ष 2006) ही कार्य प्रारम्भ कर लिया जाता तो सेतु हेतु कार्य स्थल चयन के समय नदी का जल स्तर (HFL) एवं अन्य बिन्दुओं पर विचार करने के उपरान्त तत्समय पुनरीक्षित आगणन द्वारा ज्यादा स्पान लेकर सेतु के निर्माण पर इतनी अधिक लागत नही आती।

अतः रू0 212.00 लाख व्यय होने के बाद भी लम्बाई 8.0 किमी0 मार्ग + 84 मी0 स्पान सेतु की मूल स्वीकृति के सापेक्ष मात्र 5.20 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग निर्मित किये जाने एवं सेतु का कार्य प्रारम्भ नही हो पाने के कारण सेतु की लागत में रू0 1349.29 लाख की बढ़ोत्तरी हुई हैं।

(ब) उत्तराखंड शासन द्वारा ए0 सी0 पी0 योजना के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल मे अलमस-भवान-नगुन मोटर मार्ग के किमी 8.00 से फिड़ोगी - अलूचाक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (मार्ग लंबाई 10.00 किमी + 1सेतु 24 मी0 स्पान) रु 168.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (मार्च 2006) थी जिसकी प्राविधिक स्वीकृति मार्ग लंबाई 4.00 किमी मे प्रथम चरण के कार्य हेतु रु 64.80 लाख की प्रदान की गयी (फरवरी 2009)। पुनः उक्त मार्ग लंबाई (4.00 किमी) मे ही द्वितीय चरण के कार्य हेतु रु 34.80 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी (मार्च 2012)। फार्म-64 (माह 11/2020) के अनुसार कार्य पर कुल व्यय रु 125.13 लाख था।

अधिशासी अभियंता, अस्थायी खंड , लो0 नि0 वि0, थत्यूड के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) मे पाया गया कि खंड द्वारा न केवल उपरोक्त वित्तीय नियमावली के विपरीत भूमि की अनुपलब्धता के बावजूद आंशिक रूप से (मात्र 4.00 किमी हेतु) कार्य को प्रारम्भ किया गया अपितु प्राविधिक स्वीकृति की कुल धनराशि रु 99.60 के सापेक्ष रु 125.13 लाख व्यय किए जाने के उपरांत भी पूर्ण लंबाई मे (10.00 किमी) मे मार्ग का निर्माण अपूर्ण था।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा तथ्य को स्वीकार्य करते हुये उत्तर मे बताया कि समरेखण मे ग्रामीणो के साथ विवाद के कारण देर से मात्र 4.00 किमी हेतु ही प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी थी तथा किमी 5.00 से किमी 10.00 मे वर्तमान तक भी समरेखण विवाद है। प्राविधिक स्वीकृति से अधिक व्यय एवं उक्त व्यय के निष्फल रहने के संबंध मे खंड द्वारा बताया गया कि आधिक्य की धनराशि प्रतिकर, वनभूमि के रूप मे व्यय है जबकि 4.00 किमी तक निर्मित मार्ग का उपयोग स्थानीय जनता द्वारा किया जा रहा है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यूंकि मार्ग निर्माण की स्वीकृति का मुख्य उद्देश्य फिड़ोगी से अलूचाक (10.00 किमी) को जोड़ना था जिसमे एक सेतु भी सम्मिलित था, जबकि खंड द्वारा मात्र 4.00 किमी मे ही मार्ग का निर्माण किया गया था। पुनः खंड द्वारा प्राविधिक स्वीकृति से अधिक व्यय रु रु 25.53 लाख के संबंध मे भी सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस प्रकार खंड द्वारा रु 168.00 लाख मे 10.00 किमी हेतु होने वाले मार्ग निर्माण के सापेक्ष मात्र 4.00 किमी मे ही रु 125.13 लाख व्यय कर दिये गए जिससे अवशेष धनराशि रु 42.87 लाख मे अवशेष 6.00 किमी मार्ग का निर्माण होना असंभव है। पुनः खंड का यह कथन कि मार्ग पर किया गया व्यय निष्फल नहीं है क्योंकि उक्त मार्ग का उपयोग स्थानीय जनता द्वारा किया जा रहा है भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा द्वितीय प्राविधिक स्वीकृति के उपरांत न कोई अनुबंध गठित किए गए थे और न ही मार्ग की कटिंग के उपरांत उस पर डामरीकरण के कार्य कराये कराये गए थे जिसके बिना उसको उपयोगितापूर्ण बताया जाना औचित्यहीन था ।

अतः खंड द्वारा वित्तीय नियमावली के विपरीत प्राविधिक स्वीकृति रु 99.60 लाख से रु 25.53 लाख अधिक अनियमित व्यय करते हुये न केवल आंशिक मार्ग लंबाई (मात्र 4.00 किमी) मे कार्य का निष्पादन कराया गया जबकि अवशेष मार्ग (6.00 किमी) का निर्माण 14 वर्ष से भी अधिक समय से अपूर्ण था।

उक्त प्रकरण संज्ञान मे लाये जाते हैं।

भाग – II (ब)

प्रस्तर-1: प्रकीर्ण अग्रिम मद में धनराशि ₹ 40.62 लाख लम्बित रहना एवं प्रकीर्ण अग्रिम पंजिका का वर्ष 2018-19 के पश्चात् अद्यतन नही किया जाना।

अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़ के अभिलेखों की नमूना जांच (माह दिसम्बर 2020) में पाया गया कि माह 11/2020 के मासिक लेखे के FORM-70 SCHEDULE OF MISCELLANEOUS P.W. ADVANCES के अनुसार विभिन्न मदों के सापेक्ष प्रकीर्ण अग्रिम की कुल धनराशि रू0 4061735.80 लम्बित थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार था :-

ABSTRACT of Misc Advance (month 11/2020)

(₹)

Sl. No.	Particulars of Item	Opening Balance	Debit	Credit	Closing Balance
1.	Sales on Credit (Part- Ist)	1152020.34	0.00	0.00	1152020.34
2.	Work done in excess of deposit	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Losess & retirement & errors	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Other Items (Part-IInd)	2909715.46	0.00	0.00	2909715.46
TOTAL		**4061735.80**	**0.00**	**0.00**	**4061735.80**

आगे अभिलेखों की जांच में देखा गया कि खण्ड के अन्तर्गत प्रकीर्ण अग्रिम पंजिका का वर्ष 2018-19 के पश्चात् लेखापरीक्षा तिथि तक अद्यतन नही किया गया था जिससे यह मालूम नही हो पा रहा था कि वर्ष 2018-19 के पश्चात् विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों, प्राइवेट फर्मो/ठेकेदारों तथा शासकीय विभाग/निगम के सापेक्ष लम्बित धनराशियों में से किसका समायोजन/वसूली किया गया अथवा कौन सी धनराशियां आतिथि तक लम्बित थी।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि असमायोजित प्रकीर्ण अग्रिम धनराशि की यथाशीघ्र समायोजन/वसूली कर लिया जायेगा तथा प्रकीर्ण अग्रिम पंजिका को अद्यतन कर लिया जायेगा। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि प्रकीर्ण अग्रिम मद में उक्त धनराशि लम्बित थी जिनका समायोजन/वसूली किया जाना लम्बित था तथा प्रकीर्ण अग्रिम पंजिका को वर्ष 2018-19 के पश्चात अद्यतन नही किया गया था।

अतः प्रकीर्ण अग्रिम मद में धनराशि ₹ 40.62 लाख लम्बित रहने एवं प्रकीर्ण अग्रिम पंजिका का रखरखाव अद्यतन नही किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-2:खंड में कार्यरत 26 कार्मिकों को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण कर वेतन/भत्तो का भुगतान किया जाना एवं 03 कार्मिकों की सेवापुस्तिकाओं में विगत कई वर्षों (08 से 10 वर्ष) से मूलवेतन की प्रविष्टियाँ न किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़ की नमूना लेखापरीक्षा (माह-12/2020) में खंड में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी अथवा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नत हुए कुल 36 कार्मिकों की सेवापुस्तिकाओ में वेतन निर्धारण की जांच की गई, जिसमे से 26 कार्मिकों का वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण पाया गया एवं 03 कार्मिकों की सेवापुस्तिकाओ में विगत कई वर्षों से (08 से 10 वर्ष) मूलवेतन की कोई प्रविष्टि ही नहीं पायी गई। इन सभी कार्मिकों के वेतन निर्धारण में पायी गई त्रुटियों/विसंगतियों का विवरण इस प्रकार है-

श्री गोविंद सिंह/बेलदार:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि खंड द्वारा कार्यालय आदेश संख्या-184/6ई दिनांक: 16.05.2011 के माध्यम से इनका दिनांक 01.01.2006 से (6वे वेतनमान में) पुनः वेतन निर्धारण किया गया था। जिसमे दिनांक 01.09.2008 को 10 वर्ष की सेवा पर इनको प्रथम एसीपी का लाभ दिया गया (ग्रेड वेतन 1800 से ग्रेड वेतन 1900 में)। परंतु इस वेतन निर्धारण में इनको उक्त एसीपी के बाद जो आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई, वह दिनांक 01.01.2009 को दी गई जो कि समय से पहले ही दे दी गई। नियमानुसार उक्त वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2009 को दी जानी चाहिए थी। उपरोक्त की वजह से इन्हे आगामी वर्षों (2010 से 2012 तक) में भी समय से पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई। जिसकी वजह से इन्हे इन वर्षों में अधिक वेतन/भत्तो का लाभ प्राप्त हुआ।

आगे जांच में पाया गया कि कार्मिक की सेवापुस्तिका में वर्ष 2013 एवं 2014 के मूलवेतन की प्रविष्टि ही नहीं की गई है।

पुन: आगे जांच में पाया गया कि दिनांक 02.02.2014 को इन्हे द्वितीय एसीपी का लाभ दिया गया (ग्रेड वेतन 1900 से ग्रेड वेतन 2400 में)। जिसके कारण उक्त तिथि को खंड द्वारा इनका वेतन निर्धारण किया गया। इस वेतन निर्धारण में दिनांक 02.02.2014 को जो पूर्व से प्राप्त मूलवेतन+ग्रेड वेतन लिया गया वह 8700+1900 कुल=10600 लिया गया। जिसके आधार पर उक्त तिथि (02.02.2014) को एक वेतन वृद्धि देकर खंड द्वारा इनका वेतन निर्धारण किया गया, परंतु लेखापरीक्षा द्वारा जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2012 में कार्मिक की सेवापुस्तिका में दिनांक 01.01.2012 को जो मूलवेतन की प्रविष्टि है, उसके आधार पर आगामी वर्षों (2013 एवं 2014) में एक-एक वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के पश्चात दिनांक 02.02.2014 को जो पूर्व से प्राप्त मूलवेतन+ग्रेड वेतन होगा, वह 8390+1900 कुल=10290 होगा।

लेखापरीक्षा के अनुसार उक्त तिथि (02.02.2014) से भी इन्हे गलत मूलवेतन पर वेतन निर्धारण कर वेतन/भत्तो का लाभ दिया गया और इसके बाद इनको जो आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि (01.07.2014 को) दी गई, वह पुन: समय से पहले दी गई। नियमानुसार यह वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2015 को दी जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त उक्त वेतन निर्धारण में दिनांक 01.07.2014 को खंड द्वारा जो मूलवेतन निर्धारित किया गया उसके अनुसार आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2015 को दी जानी चाहिए थी, परंतु उसकी प्रविष्टि भी सेवापुस्तिका में नहीं की गई है। और इसके आगे नए वेतनमान (7वे) में दिनांक 01.01.2016 को जो वेतन निर्धारण किया गया है, उसमे दिनांक 31.12.2015 को प्राप्त मूलवेतन+ग्रेड वेतन 9040+2400 लिया गया है, जबकि खंड द्वारा किए गए

विगत वेतन निर्धारण के अनुसार दिनांक 01.07.2014 को ही निर्धारित मूलवेतन+ग्रेड वेतन 9370+2400 था।

<u>श्रीमति सुशीला देवी/बेलदार</u>:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि खंड द्वारा पत्रांक संख्या- 1737/6ई दिनांक: 14.11.2017 के माध्यम से इनका दिनांक 01.01.2006 से (6वे वेतनमान में) पुन वेतन निर्धारण किया गया है। जिसमे दिनांक 01.09.2008 को 10 वर्ष की सेवा पर इनको प्रथम एसीपी का लाभ दिया गया (ग्रेड वेतन 1800 से ग्रेड वेतन 1900 में)। परंतु इस वेतन निर्धारण में इनको उक्त एसीपी के बाद जो आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई, वह दिनांक 01.01.2009 को दी गई जो कि समय से पहले ही दे दी गई। नियमानुसार उक्त वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2009 को दी जानी चाहिए थी। उपरोक्त की वजह से इन्हे आगामी वर्षों (2010 से 2020 तक) में भी समय से पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई। जिसकी वजह से इन्हे इन वर्षों में अधिक वेतन/भत्तो का लाभ प्राप्त हुआ।

<u>श्री घत्तू/बेलदार</u>:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 01.07.2012 को इनका मूलवेतन+ग्रेड वेतन 7500+1900 कुल=9400 था। इनकी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.07.2013 थी। इस तिथि को वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद निर्धारित मूलवेतन की प्रविष्टि इनकी सेवापुस्तिका में नहीं पायी गई।

उक्त के बाद दिनांक 09.01.2014 को 16 वर्ष की सेवा पर इन्हे द्वितीय एसीपी का लाभ दिया गया (ग्रेड वेतन 1900 से 2400 में)। जिसके कारण खंड द्वारा आदेश संख्या-505/6ई दिनांक: 23.03.2015 के माध्यम से उक्त तिथि को इनका वेतन निर्धारित किया गया। इस वेतन निर्धारण में दिनांक 09.01.2014 को जो पूर्व से प्राप्त मूलवेतन+ग्रेड वेतन लिया गया वह 8390+1900 कुल=10290 लिया गया। जिसके आधार पर उक्त तिथि (09.01.2014) को एक वेतन वृद्धि देकर खंड द्वारा इनका वेतन निर्धारण किया गया, परंतु लेखापरीक्षा द्वारा जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2012 में कार्मिक की सेवापुस्तिका में दिनांक 01.07.2012 को जो मूलवेतन की प्रविष्टि है, उसके आधार पर आगामी वर्ष 2013 में एक वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के पश्चात दिनांक 09.01.2014 को जो पूर्व से प्राप्त मूलवेतन+ग्रेड वेतन होगा, वह 7790+1900 कुल=9690 होगा।

लेखापरीक्षा के अनुसार उक्त तिथि (09.01.2014) से इन्हे गलत मूलवेतन पर वेतन निर्धारण कर वेतन/भत्तो का लाभ दिया गया और इस वेतन निर्धारण के बाद इनको जो आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि (01.07.2014 को) दी गई, वह भी समय से पहले ही दे दी गई। नियमानुसार यह वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2015 को दी जानी चाहिए थी। उपरोक्त की वजह से इन्हे आगामी वर्षों (2015 एवं 2016) में भी समय से पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई। जिसकी वजह से इन्हे इन वर्षों में भी अधिक वेतन/भत्तो का लाभ प्राप्त हुआ।

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2017 से 2020 तक सेवापुस्तिका में मूलवेतन की प्रविष्टि ही नहीं पायी गई।

<u>श्री हगाडू/बेलदार (2705)</u>:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि खंड द्वारा 01.03.2011 को 16 वर्ष की सेवा पर इन्हे द्वितीय एसीपी का लाभ दिया गया (ग्रेड वेतन 1900 से 2400 में)। जिसके बाद खंड द्वारा आदेश संख्या-1369/6ई दिनांक: 27.08.2013 के माध्यम से उक्त तिथि को एक वेतन वृद्धि देकर इनका वेतन निर्धारित किया गया। परंतु उक्त वेतन निर्धारण के बाद खंड द्वारा इनको जो आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई, वह दिनांक 01.07.2012 को दी गई। जबकि नियमानुसार उक्त वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2012 को दी जानी चाहिए थी। इस प्रकार इन्हे वार्षिक वेतन वृद्धि समय से न देकर 6 माह की देरी से दी गई और इसकी वजह से इन्हे आगामी वर्षों में भी वार्षिक वेतन वृद्धि देरी से दी गई। जिसके कारण इन्हे विगत कई वर्षों में वेतन/भत्तो की कम प्राप्ति हुई।

<u>श्री शान्ति प्रसाद/कार्य अभिकर्ता</u>:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि कार्मिक की सेवापुस्तिका में वर्ष 2013 एवं 2014 के मूलवेतन की प्रविष्टि ही नहीं की गई है।

नए वेतनमान (7वे) में दिनांक 01.01.2016 को वेतन निर्धारण करते समय दिनांक 31.12.2015 का मूलवेतन+ग्रेड वेतन 9830+2800 लिया गया है। जबकि सेवापुस्तिका में विगत वर्ष के मूलवेतन+ग्रेडवेतन की कोई प्रविष्टि नहीं है।

इसी वेतन निर्धारण में (दिनांक 01.01.2016 को) ग्रेड वेतन 2800 का ग्रेड वेतन 4200 में उच्चिकृत होने का उल्लेख है, परंतु इसमे यह उल्लेख नहीं किया गया है की यह उच्चिकृत वेतन कब से प्रभावी/देय है। और वेतन निर्धारण में उच्चीकरण पर खंड द्वारा मूलवेतन की जो प्रविष्टियाँ की गई हैं, वह भी गलत एवं अपूर्ण की गई हैं।

<u>श्री हगाड़ू/बेलदार (2717):-</u> की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि खंड द्वारा 01.03.2011 को 16 वर्ष की सेवा पर इन्हे द्वितीय एसीपी का लाभ दिया गया (ग्रेड वेतन 1900 से 2400 में)। जिसके बाद खंड द्वारा आदेश संख्या-1361/6ई दिनांक: 27.08.2013 के माध्यम से उक्त तिथि को एक वेतन वृद्धि देकर इनका वेतन निर्धारित किया गया। परंतु उक्त वेतन निर्धारण के बाद खंड द्वारा इनको जो आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई, वह दिनांक 01.07.2012 को दी गई। जबकि नियमानुसार उक्त वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2012 को दी जानी चाहिए थी। इस प्रकार इन्हे वार्षिक वेतन वृद्धि समय से न देकर 6 माह की देरी से दी गई और इसकी वजह से इन्हे आगामी वर्षों में भी वार्षिक वेतन वृद्धि देरी से दी गई। जिसके कारण इन्हे विगत कई वर्षों में वेतन/भत्तो की कम प्राप्ति हुई।

<u>श्री खजान सिंह/बेलदार (2701):-</u> की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि खंड द्वारा 01.03.2011 को 16 वर्ष की सेवा पर इन्हे द्वितीय एसीपी का लाभ दिया गया (ग्रेड वेतन 1900 से 2400 में)। जिसके बाद खंड द्वारा आदेश संख्या-1371/6ई दिनांक: 27.08.2013 के माध्यम से उक्त तिथि को एक वेतन वृद्धि देकर इनका वेतन निर्धारित किया गया। परंतु उक्त वेतन निर्धारण के बाद खंड द्वारा इनको जो आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई, वह दिनांक 01.07.2012 को दी गई। जबकि नियमानुसार उक्त वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2012 को दी जानी चाहिए थी। इस प्रकार इन्हे भी वार्षिक वेतन वृद्धि समय से न देकर 6 माह की देरी से दी गई और इसकी वजह से इन्हे आगामी वर्षों में भी वार्षिक वेतन वृद्धि देरी से दी गई। जिसके कारण इन्हे विगत कई वर्षों में वेतन/भत्तो की कम प्राप्ति हुई।

<u>श्री रणवीर सिंह/बेलदार (9040)</u>:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि इनकी सेवापुस्तिका में वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01 जुलाई 2017 एवं 01 जुलाई 2018 को मूलवेतन की प्रविष्टि ही नहीं की गई है।

<u>श्री जयवीर सिंह/बेलदार (22774)</u>:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि इनकी सेवापुस्तिका में मूलवेतन की अंतिम प्रविष्टि 01 जुलाई 2012 की है। उसके बाद इनकी सेवापुस्तिका में मूलवेतन की कोई प्रविष्टि नहीं है।

<u>श्री प्रताप सिंह/बेलदार (9567)</u>:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में वेतन निर्धारण में कई विसंगतियाँ पायीं गईं। जो इस प्रकार हैं-

7वे वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 से इनका जो वेतन निर्धारण किया गया है, उसमे दिनांक 31.12.2015 को प्राप्त मूलवेतन+ग्रेड वेतन 6580+1800 कुल=8380 लिया गया है। जबकि इनकी सेवापुस्तिका की प्रविष्टियों के आधार पर उक्त तिथि (31.12.2015) को इनका मूलवेतन +ग्रेड वेतन 6330+1800 कुल=8130 था। इस प्रकार नए वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 को इनका मूलवेतन गलत एवं अधिक निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01 जुलाई कर दी गई, जोकि विगत वर्ष में 01 जनवरी थी।

दिनांक 20.12.2016 को कार्मिक की पदोउन्नति बेलदार (ग्रेड वेतन- 1800) से मेंट (ग्रेड वेतन-1900) के पद पर हुई थी। जिसके बाद खंड द्वारा उक्त वेतन (7वे) निर्धारण में इस तिथि (20.12.2016) को जो वेतन निर्धारित किया गया वह भी गलत किया गया। खंड द्वारा उक्त तिथि को इनका मूलवेतन 23500 निर्धारित किया गया है जबकि लेखापरीक्षा के अनुसार इस तिथि को इनका मूलवेतन 23800 होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त 01 जुलाई 2017 को जो मूलवेतन (वार्षिक वेतन वृद्धि पर) की प्रविष्टि है, वह भी गलत है।

<u>श्री प्रभु लाल/बेलदार (7830)</u>:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि खंड द्वारा पत्रांक संख्या 1942/6ई दिनांक: 20.12.2017 के माध्यम से दिनांक 01.12.2012 से इनका संशोधित वेतन निर्धारण किया गया है। इस वेतन निर्धारण में दिनांक 01.12.2012 को पूर्व से प्राप्त मूलवेतन+ग्रेड

वेतन 6230+1800 कुल= 8030 लिया गया है और इस पर एक वेतन वृद्धि देकर इस तिथि को इनका मूलवेतन+ग्रेड वेतन 6480+1800 कुल= 8280 निर्धारित किया गया है। परंतु इनकी सेवापुस्तिका में वर्ष 2009 के बाद से मूलवेतन की कोई प्रविष्टि नहीं है। वर्ष 2009 में अनियमित कार्य प्रभार में इनके मूलवेतन की अंतिम प्रविष्टि 3020 की प्रविष्टि है।
खंड द्वारा दिनांक 01.12.2012 को एक वेतन वृद्धि देकर कार्मिक का वेतन निर्धारित किया गया था। इसके बाद आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि 01.01.2013 को दी गई। जबकि उक्त वेतन निर्धारण के अनुसार यह 01.07.2013 को दी जानी थी।
श्री मंगल सिंह/बेलदार:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 01.06.2013 को यह अनियमित कार्य प्रभार से नियमित कार्य प्रभार में नियुक्ति पाये थे। जिसके बाद खंड द्वारा उक्त तिथि को इनका मूलवेतन+ ग्रेड वेतन 5200+1800 कुल= 7000 निर्धारित किया गया। चूंकि उक्त तिथि से पहले यह अनियमित कार्य प्रभार में कार्यरत थे। परंतु नियमितीकरण के बाद वेतन निर्धारण में इनको पूर्व (अनियमितिकरण में) के मूलवेतन का संरक्षण नहीं दिया गया।
श्री मोहन/बेलदार (22804):- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि 7वे वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 से इनका जो वेतन निर्धारण किया गया है, उसमे दिनांक 31.12.2015 को प्राप्त मूलवेतन+ग्रेड वेतन 7650+1800 कुल=9450 लिया गया है। जबकि इनकी सेवापुस्तिका की प्रविष्टियों के आधार पर उक्त तिथि (31.12.2015) को इनका मूलवेतन+ग्रेड वेतन 7940+1900 कुल=9840 था। इस प्रकार नए वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 को इनका मूलवेतन गलत एवं कम निर्धारित किया गया। जिसकी वजह से आगामी वर्षों (2017 से 2020 तक) में भी गलत एवं कम मूलवेतन निर्धारित किया गया।
श्री मोहन सिंह/क्लीनर (97829):- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि खंड द्वारा पत्रांक-1816/6ई दिनांक:22.09.2016 के माध्यम से अनियमित कार्य प्रभार में दिनांक 01.01.2006 से इनका वेतन निर्धारण किया गया। जिसमे ग्रेड वेतन 1300 लिया गया है। चूंकि शासन द्वारा ग्रेड वेतन 1800 से कम वाले समस्त ग्रेड वेतन को समाप्त कर न्यूनतम ग्रेड वेतन 1800 कर दिया था। परंतु खंड द्वारा इनके ग्रेड वेतन को नहीं सुधारा गया जिसकी वजह से इनका मूलवेतन कम निर्धारित किया गया और इन्हे वेतन/भत्तो की हानि हुई।
दिनांक 08.07.2011 को यह अनियमित कार्य प्रभार से नियमित कार्य प्रभार में नियुक्ति पाये थे। जिसके बाद खंड द्वारा उक्त तिथि को इनका मूलवेतन+ ग्रेड वेतन 6630+1800 कुल= 8430 निर्धारित किया गया। चूंकि उक्त तिथि से पहले अनियमित कार्य प्रभार गलत वेतन निर्धारण की वजह से इनका दिनांक 08.07.2011 से भी गलत मूलवेतन निर्धारित किया गया।
श्री गजेंद्र सिंह/चौकीदार (90148):- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि खंड द्वारा पत्रांक-1218/6ई दिनांक:16.05.2011 के माध्यम से दिनांक 01.01.2007 से इनका वेतन निर्धारण किया गया। परंतु इस वेतन निर्धारण में दिनांक 01.01.2006 के मूलवेतन की प्रविष्टि ही नहीं है और दिनांक 01.01.2007 से भी जो मूलवेतन निर्धारित किया गया है, वह भी गलत है। दिनांक 01.01.2007 को खंड द्वारा इनका मूलवेतन 5946 निर्धारित किया गया है। जबकि नियमानुसार यह 10 के गुणांक के पूर्णांक में होना चाहिए था। इसी प्रकार आगामी वर्षों में (2011 तक) भी गलत मूलवेतन निर्धारित किया गया।
उक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.07.2016 को इन्हे प्रथम एसीपी का लाभ दिया गया (ग्रेड वेतन 1800 से ग्रेड वेतन 1900 में)। 7वे वेतनमान में वेतन निर्धारण करते समय उक्त एसीपी की तिथि से खंड द्वारा पुन: गलत वेतन निर्धारित किया गया। सेवापुस्तिका में इसकी स्पष्ट प्रविष्टि नहीं की गई है कि दिनांक 01.01.2016 को कितना मूलवेतन निर्धारित किया गया और 01.07.2016 को कितना किया गया।
श्री गिरधारी लाल/मेंट (90152):- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि खंड द्वारा पत्रांक-1223/6ई दिनांक:16.05.2011 के माध्यम से दिनांक 01.01.2007 से इनका वेतन निर्धारण किया गया। परंतु इस वेतन निर्धारण में दिनांक 01.01.2006 के मूलवेतन की प्रविष्टि ही नहीं है और दिनांक 01.01.2007 से भी जो मूलवेतन निर्धारित किया गया है, वह भी गलत है। दिनांक

01.01.2007 को खंड द्वारा इनका मूलवेतन 5731 निर्धारित किया गया है। जबकि नियमानुसार यह 10 के गुणांक के पूर्णांक में होना चाहिए था। इसी प्रकार आगामी वर्षों में (2015 तक) भी गलत मूलवेतन निर्धारित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.07.2016 को इन्हे प्रथम एसीपी का लाभ दिया गया (ग्रेड वेतन 1800 से ग्रेड वेतन 1900 में)। जिसकी प्रविष्टि 6वे वेतनमान में तो सेवापुस्तिका में की गई है परंतु 7वे वेतनमान में इसकी प्रविष्टि नहीं की गई है। जिसकी वजह से 7वे वेतन मान में इनको एसीपी का लाभ नहीं मिल रहा है।

श्रीमति रामप्यारी देवी/बेलदार (22796):- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि 7वे वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 से इनका जो वेतन निर्धारण किया गया है, उसमे दिनांक 31.12.2015 को प्राप्त मूलवेतन+ग्रेड वेतन 7650+1900 कुल=9550 लिया गया है। जबकि इनकी सेवापुस्तिका की प्रविष्टियों के आधार पर उक्त तिथि (31.12.2015) को इनका मूलवेतन+ग्रेड वेतन 7940+1900 कुल=9840 था। इस प्रकार नए वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 को इनका मूलवेतन गलत एवं कम निर्धारित किया गया। जिसकी वजह से आगामी वर्षों (2017 से 2020 तक) में भी गलत एवं कम मूलवेतन निर्धारित किया गया।

श्री उत्तम सिंह/अमीन:- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि खंड द्वारा पत्रांक-1175/5ई दिनांक:30.05.2019 के माध्यम से इनका दिनांक 01.01.2016 से 7वे वेतनमान में संशोधित वेतन निर्धारण किया गया। इस वेतन निर्धारण में खंड द्वारा दिनांक 07.04.2017 से इन्हे ग्रेड वेतन 4200 (लेवल-05) का लाभ दिया गया। जिसका कारण उक्त वेतन निर्धारण में इंगित किया गया है कि दिनांक 07.04.2017 से अमीन के पद का न्यूनतम ग्रेड वेतन 2400 (Entry Grade) हो गया। जिसकी वजह से द्वितीय एसीपी पर ग्रेडवेतन 4200 स्वीकृत किया गया। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इनको द्वितीय एसीपी का लाभ दिनांक 22.04.2011 को इनके विगत पदनाम (कार्य अभिकर्ता) में प्राप्त हुआ था, जबकि अमीन के पद पद इनकी पदोउन्नति/नियुक्ति दिनांक 07.07.2015 को हुई थी एवं इनको अमीन के पद पर किसी एसीपी का लाभ नहीं मिला। चूंकि अमीन के पद पर नियुक्ति से पहले ही इन्हे ग्रेड वेतन 2800 का लाभ मिल चुका था, इसलिए इन्हे इस पदोउन्नति पर भी कोई वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। इस प्रकार खंड द्वारा इन्हे दिनांक 07.04.2016 से द्वितीय एसीपी के रूप में ग्रेड वेतन 4200 का अनियमित लाभ दिया गया।

श्री शांति प्रसाद/मेंट (2266):- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि इनकी सेवापुस्तिका में वर्ष 2013 के बाद से मूलवेतन की कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।

श्री बर्फ़ीया/बेलदार (22781):- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि इनकी सेवापुस्तिका में भी वर्ष 2010 के बाद से मूलवेतन की कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।

श्री चमन दास/मेंट (2274):- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2013 तक इनकी सेवापुस्तिका में वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01 जनवरी है परंतु वर्ष 2014 से वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01 जुलाई कर दी गई। लेकिन सेवापुस्तिका में यह कहीं स्पष्ट नहीं है कि वेतन वृद्धि 01 जनवरी से 01 जुलाई किस आधार पर की गई।

श्री जयपाल सिंह/बेलदार (22766):- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 01.08.2015 को इन्हे द्वितीय एसीपी का लाभ दिया गया (ग्रेड वेतन 1900 से 2400 में)। जिसके बाद उक्त तिथि को इनका वेतन निर्धारण किया गया। इस वेतन निर्धारण में दिनांक 01.08.2015 को पूर्व से प्राप्त मूलवेतन+ग्रेड वेतन 9020+1900 कुल=10920 लिया गया, जबकि सेवापुस्तिका की प्रविष्टियों के आधार पर इस तिथि को पूर्व से प्राप्त मूलवेतन+ग्रेड वेतन 8700+1900 कुल=10600 था। इस प्रकार उक्त तिथि को गलत एवं अधिक मूलवेतन निर्धारित किया गया। जिसकी वजह से आगामी वर्षों (2017 से 2020 तक) में भी गलत एवं अधिक मूलवेतन निर्धारित किया गया।

श्री बुद्धि सिंह/बेलदार (22973):- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 01.07.2012 को इनका मूलवेतन+ग्रेड वेतन 7790+1900 कुल=9690 था। जिसके बाद आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.07.2013 को इनका मूलवेतन+ग्रेड वेतन 8090+1900 कुल=9990

होना चाहिए था। परंतु इनकी सेवापुस्तिका में दिनांक 01.07.2013 को 8390+1900 कुल=10290 के मूलवेतन+ग्रेड वेतन की प्रविष्टि पायी गई। लेखापरीक्षा के अनुसार उक्त तिथि (01.07.2013) से इनका वेतन गलत एवं अधिक निर्धारित किया गया, जिसकी वजह से आगामी वर्षों में (2014 से 2020 तक) भी गलत एवं अधिक मूलवेतन निर्धारित किया गया।

श्री जयेन्द्र सिंह/बेलदार (22769):- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 01.08.2015 को इन्हे द्वितीय एसीपी का लाभ दिया गया (ग्रेड वेतन 1900 से 2400 में)। जिसके बाद उक्त तिथि को इनका वेतन निर्धारण किया गया। इस वेतन निर्धारण में दिनांक 01.08.2015 को पूर्व से प्राप्त मूलवेतन+ग्रेड वेतन 9020+1900 कुल=10920 लिया गया, जबकि सेवापुस्तिका की प्रविष्टियों के आधार पर इस तिथि को पूर्व से प्राप्त मूलवेतन+ग्रेड वेतन 8700+1900 कुल=10600 था। इस प्रकार उक्त तिथि को गलत एवं अधिक मूलवेतन निर्धारित किया गया। जिसकी वजह से आगामी वर्षों (2016 से 2020 तक) में भी गलत एवं अधिक मूलवेतन निर्धारित किया गया।

श्री प्रेम सिंह/बेलदार (22768):- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 01.08.2015 को इन्हे द्वितीय एसीपी का लाभ दिया गया (ग्रेड वेतन 1900 से 2400 में)। जिसके बाद उक्त तिथि को इनका वेतन निर्धारण किया गया। इस वेतन निर्धारण में दिनांक 01.08.2015 को पूर्व से प्राप्त मूलवेतन+ग्रेड वेतन 9020+1900 कुल=10920 लिया गया, जबकि सेवापुस्तिका की प्रविष्टियों के आधार पर इस तिथि को पूर्व से प्राप्त मूलवेतन+ग्रेड वेतन 8700+1900 कुल=10600 था। इस प्रकार उक्त तिथि को गलत एवं अधिक मूलवेतन निर्धारित किया गया। जिसकी वजह से आगामी वर्षों (2016 से 2020 तक) में भी गलत एवं अधिक मूलवेतन निर्धारित किया गया।

श्री धर्मानंद/मेंट (90142):- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि खंड द्वारा पत्रांक-1220/6ई दिनांक:16.05.2011 के माध्यम से दिनांक 01.01.2007 से इनका वेतन निर्धारण किया गया। परंतु इस वेतन निर्धारण में दिनांक 01.01.2006 के मूलवेतन की प्रविष्टि ही नहीं है और दिनांक 01.01.2007 से भी जो मूलवेतन निर्धारित किया गया है, वह भी गलत है। दिनांक 01.01.2007 को खंड द्वारा इनका मूलवेतन 7886 निर्धारित किया गया है। जबकि नियमानुसार यह 10 के गुणांक के पूर्णांक में होना चाहिए था। जिसकी वजह से आगामी वर्षों में भी गलत मूलवेतन निर्धारित किया गया।

श्री सुंदर सिंह/चौकीदार (90147):- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि खंड द्वारा दिनांक 01.01.2006 से इनका जो वेतन निर्धारण किया गया। उसमें दिनांक 01.01.2006 को खंड द्वारा जो मूलवेतन निर्धारित किया गया है, वह गलत निर्धारित किया गया है। दिनांक 01.01.2006 को खंड द्वारा इनका मूलवेतन 7746 निर्धारित किया गया है। जबकि नियमानुसार यह 10 के गुणांक के पूर्णांक में होना चाहिए था। जिसकी वजह से आगामी वर्षों में भी गलत मूलवेतन निर्धारित किया गया।

श्री कमल सिंह/चौकीदार (90151):- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि खंड द्वारा पत्रांक-1219/6ई दिनांक:16.05.2011 के माध्यम से दिनांक 01.01.2007 से इनका वेतन निर्धारण किया गया। परंतु इस वेतन निर्धारण में दिनांक 01.01.2006 के मूलवेतन की प्रविष्टि ही नहीं है और दिनांक 01.01.2007 से भी जो मूलवेतन निर्धारित किया गया है, वह भी गलत है। दिनांक 01.01.2007 को खंड द्वारा इनका मूलवेतन 7746 निर्धारित किया गया है। जबकि नियमानुसार यह 10 के गुणांक के पूर्णांक में होना चाहिए था। जिसकी वजह से आगामी वर्षों में भी गलत मूलवेतन निर्धारित किया गया।

श्री रवीद्र सिंह/कार्य अभिकर्ता (22638):- की सेवापुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि 7वे वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 से खंड द्वारा इनका जो वेतन निर्धारण किया गया है। वह लेखापरीक्षा के अनुसार गलत निर्धारित किया गया है। इस वेतन निर्धारण में खंड द्वारा दिनांक 01.01.2016 को इनका मूलवेतन 30100 निर्धारित किया गया है जबकि लेखापरीक्षा के अनुसार उक्त तिथि को इनका मूलवेतन 29600 होना चाहिए था। इसकी वजह से आगामी वर्षों में भी गलत मूलवेतन निर्धारित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 29.01.2016 को इनका ग्रेड वेतन 2400 से 2800 में उच्चीकृत हुआ था (6 वे वेतनमान में)। 7वे वेतनमान में उक्त तिथि से इनको कितना मूलवेतन दिया गया इसकी सेवापुस्तिका में कोई प्रविष्टि ही नहीं है।

उक्त की ओर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि उक्त प्रकरणों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही कर ली जाएगी।

उक्त सभी कार्मिकों के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के प्रकरण पर खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुष्टि होती है। *अत: खंड में कार्यरत उक्त 26 कार्मिकों को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण कर वेतन/भत्तो का भुगतान किए जाने एवं 03 कार्मिकों की सेवापुस्तिकाओं में विगत कई वर्षों (08 से 10 वर्ष) से मूलवेतन की प्रविष्टियाँ न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।*

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग –II (अ)	भाग –II (ब)
1.	42/2003-04	01	-
2.	17/2005-06	-	01,02
3.	52/2006-07	-	01,02,03
4.	13/2008-09	01,02,03,04,05,06,07	01,02
5	52/2010-11	01,02,03	-
6	62/2011-12	01	02
7	78/2015-16	-	01(B),02
8	56/2017-18	-	01
9	91/2019-20	01	01,02,03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

निरीक्षण प्रतिवेद संख्या	प्रस्तर संख्या		अनुपालन आख	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग –II(अ)	भाग –II (ब)			
42/2003-04	01	-	अनुपालन आख्या कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित की गई है।	शून्य	---
17/2005-06	-	01,02			
52/2006-07	-	01,02,03			
13/2008-09	01,02,03,04,05,06,07	01,02			
52/2010-11	01,02,03	-			
62/2011-12	01	02			
78/2015-16	-	01(B),02			
56/2017-18	-	01			
91/2019-20	01	01,02,03			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--- शून्य ---

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**
2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य
3. **विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।**

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री रजनीश कुमार सैनी	अधिशासी अभियन्ता	24/07/2017 से वर्तमान तक।

4. **विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

क्र.सं.	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री अशोक कुमार पग्यल	विगत लेखापरीक्षा से 29.09.2020 तक।
2.	श्री अमित कुमार	20.09.2020 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थत्युड** को इस आशय से प्रेषित की गई है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, एएमजी-II (Non-PSU) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड,महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषितकिया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-II (Non-PSU)